कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, Email - msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/538/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुंद, दिनांक 19/05/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/520/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 15.05.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तथा जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपत किये गये हैं।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये **कंडिका 02 (i)** से **'शो–रूम'** शब्द तथा **कंडिका 5** में वाक्यांश **"वाहन विक्रय हेतु शो–रूम नहीं खुलेंगे" शब्दावली को विलोपित किया जाता है तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्टैण्ड–एलोन शो–रूम के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है :–**

01. **शो–रूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में अपरान्ह 05:00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु उपरोक्त आदेश की कंडिका 7 के अधीन स्थापित बाजारों में सम/विषम नियमानुसार क्रम का पालन अनिवार्य होगा।**

02. शो–रूम परिसर में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क तथा शो–रूम में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु शो–रूम परिसर में पोस्टर/बैनर लगाना अनिवार्य होगा।

03. शो–रूम में कार्यरत् सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जांच तथा कोविड–19 वैक्शीनेशन कराना आवश्यक होगा।

04. शो–रूम में कार्यरत कर्मचारियों एवं उपस्थित होने वाले ग्राहकों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

05. शो–रूम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़–भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु शो–रूम सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) — सत्यमेव जयते)

19/5/2021

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

महासमुन्द (छ.ग.)

(जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.))

पृ.क्रमांक / 538 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद, दिनांक 19 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।

04. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर को सूचनार्थ।

05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।

07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमान्डर, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

08. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09. जिला परिवहन अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। महासमुन्द जिला अंतर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

10. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13. .... समस्त आम जनता, जिला महासमुन्द द्वारा सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

सत्यमेव जयते

19/5/2021

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)